



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५१) काठमाडौं, भदौ १ गते २०५८ साल (अतिरिक्ताङ्क २७(क)

भाग ३

श्री ५ को सरकार

गृह मन्त्रालयको सूचना

विभूषण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५८

विभूषण नियमावली, २०४८ लाई संशोधन गर्न वान्छनीय मएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट मन्त्रिपरिषद्को

सल्लाह र सम्मतिले देहायका नियमहरू स्वीकृत गरिबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो नियमहरूको नाम “विभूषण (चौथो संशोधन)

नियमावली, २०५८” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुलन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. विभूषण नियमावली, २०४८ को नियम ३ मा संशोधनः विभूषण नियमावली

२०४८ को नियम ३ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सहा
देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ:-

“तर, श्री ५ युवराजाधिराज १८ (अठार) वर्षको उमेर नपुगी बक्सेसम्म वा
श्री ५ युवराजाधिराज घोषणा नभईसकेसम्म पृथुलाधीशले गर्नुपर्ने सबै काम
श्री ५ महाराजाधिराजबाट तोकिबक्सेको व्यक्तिले चलाउनेछ ।”

आज्ञाले,

श्रीकान्त रेम्भो

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित श्री ५ को सरकारको सञ्चित
अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित श्री ५ को सरकारको सञ्चित

ରାଜନୀତି ଟଙ୍କା

ରାଜନୀତି ଟଙ୍କା ଲିଖିତ

(କ) ୮୮ କୁଳକରୀଲୋକ) ରାଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜନୀତି (୧୫୩)

ଶତାବ୍ଦୀ

ଶତାବ୍ଦୀ

ରାଜନୀତି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା

୧୫୦୯ ଲିଖିତ (ଅଧିକାରିକତା) ରାଜନୀତି

ରାଜନୀତି ଅଧିକାରିକତା ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି
ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି

ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି
(ଅଧିକାରିକତା) ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି .

୧ ଟଙ୍କା "୧୫୦୯ ଲିଖିତ

ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି

ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି .

ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି .

ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି .

ରାଜନୀତି

ରାଜନୀତି

ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି

ଆଧିକାରିକତା ମୁଦ୍ରଣ ବିଭାଗବାଟ ୩୮୯